287

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 4(6)शिक्षा–1/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 7.7.2017

1. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

2. राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर।

3. निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

4. आयुक्त,
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद,
जयपुर।

5. समस्त कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः–आदर्श विद्यालय योजना के प्रथम व द्वितीय चरण (वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17) उत्कृष्ट विद्यालय योजना के प्रथम चरण (2016–17) के क्रियान्वयन के आधार पर 05 सितम्बर, 2017 को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में आदर्श विद्यालयों एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के तीन–तीन संस्था प्रधानों को प्रशंसा पत्र प्रदान किये जाने बाबत।

DD(P) 11/7/17

BC(PE)

10-07-17

महोदय,

1. माननीया मुख्यमंत्री महोदया ने वर्ष 2015–16 के बजट अभिभाषण में प्रत्येक ग्राम पंचायत (पुनर्गठित ग्राम पंचायतों सहित) में एक विद्यालय (सामान्यतया कक्षा 1 से 12/10 का विद्यालय) को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। जिसकी अनुपालना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने हेतु विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक प. 4(6)शिक्षा–1/2014 दिनांक 12.5.2015 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2015–16 में 1340 (31 मार्च, 2016 तक), वर्ष 2016–17 में 3097 (31 मार्च, 2017 तक) एवं वर्ष 2017–18 में 5458 (31 मार्च, 2018 तक) आदर्श विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है।

इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थित एक विद्यालय (सामान्यतः कक्षा 1–8/5) को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना के दिशा–निर्देश प. 17(3)/प्रा. शि./आयोजना/उत्कृष्ट वि./2016 दिनांक 23.05.2016 द्वारा जारी किए गए हैं।

राजस्थान प्रारम्भिक
शिक्षा परिषद, जयपुर
10 JUL 2017
1352
प्राप्त किया

2. राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं यथा पर्याप्त एवं मानदण्डानुसार शिक्षकों की व्यवस्था, आधारभूत भौतिक सुविधाऐं, बालक–बालिकाओं के लिये फर्नीचर एवं खेलकूद सामग्री की व्यवस्था के साथ–साथ आई.सी.टी./कम्प्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर, इन्हें **Centre of Excellence** के रूप में विकसित किया जाना है। यह आदर्श विद्यालय ग्राम पंचायत के अन्य

विद्यालयों के लिए **मार्गदर्शी विद्यालय** (Mentor School) एवं **संदर्भ केन्द्र** (Resource Center) के रूप में कार्य करेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय प्रारम्भिक शिक्षा के लिए **Centre of Excellence** के रूप में विकसित होंगे।

3. आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन में विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (संस्था प्रधान) की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन अधिकारियों द्वारा ही विभिन्न स्तरों/संस्थाओं एवं अभिभावकों से सहयोग प्राप्त कर विद्यालय को आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।

4. आदर्श विद्यालय योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में (31 मार्च 2017 तक) 4437 विद्यालयों एवं उत्कृष्ट योजना के प्रथम चरण (31 मार्च 2017 तक) में 4289 विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों (संस्था प्रधान) के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने एवं अच्छा कार्य करने वाले संस्था प्रधानों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति उपरांत राज्य के सभी जिलों में आदर्श विद्यालय योजना के प्रथम व द्वितीय चरण तथा उत्कृष्ट विद्यालय योजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कर सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों का भी चयन किया जाना है। चयनित सर्वश्रेष्ठ तीन–तीन प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों (संस्था प्रधान) को 05 सितम्बर 2017 को राज्य स्तरीय समारोह में प्रशंसा पत्र प्रदान किया जायेगा।

5. उपरोक्तानुसार चयन हेतु जिला एवं निदेशालय स्तर पर मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति तथा राज्य स्तर पर चयन समितियां निम्नानुसार गठित की जाती हैः–

1. जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति

आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आदेश क्रमांक 6(2)प्र.सु./ग्रुप–3/2015 दिनांक 15.04.2015 द्वारा गठित जिला स्तरीय निष्पादक समिति।

2. आदर्श विद्यालयों के लिए निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति

अध्यक्ष	–	निदेशक, मा.शि. राज. बीकानेर
सदस्य	–	उपायुक्त, प्रथम, रामाशिप. जयपुर
सदस्य	–	अतिरिक्त निदेशक, मा.शि. राज. बीकानेर
सदस्य	–	उपनिदेशक, जोधपुर, अजमेर एवं बीकानेर
सदस्य	–	सहायक निदेशक, संस्थापन एवं शैक्षिक मा.शि. राज. बीकानेर
सदस्य सचिव	–	संयुक्त निदेशक, कार्मिक राज. मा.शि. बीकानेर

3. उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति

अध्यक्ष	–	निदेशक, प्रा.शि. राज. बीकानेर
सदस्य	–	उपायुक्त, राप्राशिप. जयपुर
सदस्य	–	अतिरिक्त निदेशक, प्रा.शि. राज. बीकानेर
सदस्य	–	उपनिदेशक, प्रा.शि., जोधपुर, अजमेर एवं बीकानेर
सदस्य	–	सहायक निदेशक, संस्थापन एवं शैक्षिक प्रा.शि. राज. बीकानेर
सदस्य सचिव	–	संयुक्त निदेशक, कार्मिक राज. प्रा.शि. बीकानेर